फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

बीना देवी बनाम अजय वगै0

किस्म मुकदमा—दावा तकास्मा व स्थाई निषे0 मु0नं0— 48/2024

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2026	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषे0 पेश किया गया था, जिसमें दिनांक 23.07.2024 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में पत्रांक भू0अ0/2025/3332 दिनांक 15.12.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किए गए है। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार सिकराय द्वारा भिजवाए गए विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार है। वादी विभाजन प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत है इसलिए विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/3332 दिनांक 15.12.2025 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तथा प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषे0 से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	